01/10.45

वित्तीय स्वीकृति

संख्याः– /XVII-3/17-09 (16)/2016

प्रेषक,

सी.एस. नपलच्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांकः ~~जून, 2017~~ 31 जुलाई, 2017

विषयः–केन्द्र सहायतित एम.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृत जनपद हरिद्वार के ब्लाक नारसन में भगवानपुर–चन्दनपुर में पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–1223/नि.स.क./एम.एस.डी.पी./12वी.प.यो./2016–17, दिनांक 20.12.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद हरिद्वार के ब्लाक नारसन में भगवानपुर–चन्दनपुर में पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा गठित आंगणन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार के पत्र संख्या–3/20(4)/2013–पी0पी0–1, दिनांक 08.11.2016 के साथ संलग्न परिशिष्ट–1 की तालिका–2 के क्रमांक–2 पर प्रश्नगत निर्माण हेतु कुल ₹ 230.78 लाख अनुमोदित करते हुए केन्द्रांश ₹ 184.624 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में ₹ 92.312 लाख की धनराशि अवमुक्त की है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार के ब्लॉक नारसन में भगवानपुर–चन्दनपुर में पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा विभागीय तकनीकी परीक्षणोंपरान्त उपरान्त निर्माण कार्य हेतु संस्तुत लागत ₹ 230.78 लाख (सिविल कार्यों हेतु ₹ 185.52 लाख + अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों हेतु ₹ 45.26 लाख) तथा उक्त के अतिरिक्त कन्टीजैंसी (03प्रतिशत) के रूप में ₹ 5.56 लाख तथा सैन्टेज प्रभार (12.5प्रतिशत) के रूप में ₹ 29.21 लाख के क्रम में, भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत कार्य की अनुमोदित लागत को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान में ₹ 45.26 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार + सिविल कार्य हेतु ₹ 185.52 लाख तथा कन्टीजैंसी/सैन्टेज प्रभार के रूप में कुल ₹ 34.77 लाख अर्थात कुल धनराशि ₹ 265.55 लाख (₹ दो करोड पैंसठ लाख पच्चपन हजार मात्र) की औचित्यपूर्ण धनराशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त प्रथम किस्त ₹ 92.312 लाख (₹ बियानबे लाख इक्कतीस हजार दौ सौ मात्र) एवं राज्यांश ₹ 23.078 लाख (₹ तेईस लाख सात हजार आठ सौ मात्र) तथा कन्टीजैन्सी हेतु ₹2.78 लाख तथा सैन्टेज प्रभार हेतु ₹ 14.605 लाख अर्थात कुल ₹ 132.775 लाख (₹ एक करोड बत्तीस लाख सतहत्तर हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि की वित्तीय वर्ष 2017–18 में वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. उपरोक्त कार्य को उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि से ही वांछित गुणवत्ता एवं समयबद्धता पूर्वक सम्पूर्ण कराया जायेगा एवं आगणन का पुनरीक्षण किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगा।
2. वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 312/3(150)/XXVII-I/2017, दिनांक 31.03.2017 में द्वारा दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3. उक्त कार्य हेतु सैन्टेज प्रभार की दर का निर्धारण नियमानुसार वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–346/XXVII(7)/2012, दिनांक 20.12.2012 तथा कन्टीजैन्सी की दर का निर्धारण उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के वर्किंग मैनुअल (2015) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
4. उक्त कार्य की स्वीकृति गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजनान्तर्गत जिलाधिकारी, देहरादून के पी. एल.ए. खाते में व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष प्रदान की जा रही है।
5. उक्त कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाये। उक्तानुसार निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तान्तरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा द्वारा एम0ओ0यू0 में निर्धारित समय के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण कर विभाग को हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करा ली जाये।
7. परीक्षण के सन्दर्भ में नियोजन विभाग से समन्वय कर, परीक्षण सम्पन्न कराते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी एवं उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज चार्जेज से वहन किया जायेगा। गुणवत्ता परीक्षण आख्या शासन को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
9. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है। आंगणन में प्राविधानित व्यय करने से पूर्व उक्त हेतु उत्तराखण्ड आधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में निहित उपबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। अव्ययित अवशेष धनराशि राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत अधिक धनराशि की आवश्यकता पडती है तो पेयजल विभाग के सुसंगत लेखाशीर्षकों/मदों से इसकी पूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।
10. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से की गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
11. एक मुश्त प्राविधान के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
12. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
13. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
14. यदि स्वीकृति राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाए।
15. कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जी0पी0 डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

16. स्वीकृत उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व प्रश्नगत योजना हेतु भूमि की उपलब्धता की पुष्टि करनी आवश्यक होगी। किसी भी दशा में भूमि उपलब्ध होने से पूर्व उक्त स्वीकृत धनराशि जारी न की जाय।
17. यदि कार्यदायी संस्था द्वारा उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते में जमा कर ब्याज अर्जित किया जायेगा, तो अर्जित ब्यॉज की धनराशि को कोषागार में जमा कराये जाने का प्रमाण प्रस्तुत करने के उपरान्त ही अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी, कालान्तर में जो भी ब्याज अर्जित किया जायेगा उसे कोषागार में जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
18. प्रस्तावित निर्माण कार्य अर्थात 'पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण' का अनुमोदित लेआउट प्लान की ब्लू प्रिन्ट तथा सक्षम स्तर से अनुमोदित डिजाईन की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
19. निर्माण कार्य गतिमान रहने अथवा पूर्ण होकर विभाग को हस्तान्तरित होने के उपरान्त भी गुणवत्ता की कमी के कारण यदि निर्माण कार्य गिर जाता है अथवा पेयजल योजना असफल होती है, तो इस कारण हुए जान–माल के नुकसान तथा योजना पर हुए व्यय की शतप्रतिशत धनराशि निर्माण इकाई/कार्यदायी इकाई से वसूल की जायेगी तथा निर्माण कार्य करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विधिक फौजदारी एवं सुसंगत सेवा नियमों के अनुसार कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
20. इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय हेतु वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹132.775 लाख में से केन्द्रांश ₹92.312 लाख का वहन गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में शासनादेश संख्या–545/XVII-3/2017 –07 (02)/2016टी.सी.–II, दिनांक 30.03.2017 के द्वारा जिलाधिकारी, देहरादनू के पी.एल.ए. खाते में व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष आहरित कर किया जायेगा, जबकि राज्यांश ₹23.078 लाख तथा कन्टीजैन्सी/सैन्टेज प्रभार के रूप में ₹17.385 लाख, इस प्रकार कुल ₹40.463 लाख का व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखानुदान के अनुदान संख्या–15 के मुख्यलेखाशीर्षक 4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय–800–अन्यव्यय–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0103–अल्पसंख्यकों हेतु मल्टी सेक्टोरल विकास योजना के मानक मद–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामें डाला जायेगा।
21. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:07(म.)/XXVII-3/17, दिनांक 27 अप्रैल, 2017 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

ID ई- 1707150630
दिनांक 3/7/2017

भवदीय,

(सी.एस. नपलच्याल)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:– 645 / XVII-3/17-09(16)/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य अभि0(मु0), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण नि0, उत्तराखण्ड, मोहिनी रोड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
7. अधिशासी अभियन्ता, नि0शा0, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
11. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी.एस. भाकुनी)
उप सचिव।